कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 1767 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक 07/11/2026

// छत्तीसगढ़ राज्य, प्रवेश वर्ष 2026 हेतु NEET UG (एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस.) पाठ्यक्रम की स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड काउंसिलिंग आवंटन सूचना //

आज दिनांक 07.11.2026 को छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक (MBBS/BDS) पाठ्यक्रम की सीटों की स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड काउंसिलिंग के लिए आवंटन सूची जारी की गई है, इसके तहत स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय–सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी : –

स्क्रूटनी एवं प्रवेश हेतु समय–सारिणी

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	स्क्रुटनी की प्रारंभ एवं अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	दिनांक 11 नवम्बर 2026 समय Server Time 10:00 Hrs (10:00 AM) से दिनांक 12 नवम्बर 2026, समय Server Time 16:00 Hrs (04:00 PM) तक
2	आबंटित संस्था में प्रवेश की प्रारंभ एवं अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	दिनांक 11 नवम्बर 2026 समय Server Time 10:00 Hrs (10:00 AM) से दिनांक 12 नवम्बर 2026, समय Server Time 17:00 Hrs (05:00 PM) तक

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय – *सभी शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के आवंटित अभ्यर्थियों की स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया आवंटित संस्था में सम्पन्न की जावेगी।*

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु स्कूटनी सेंटर

क्र0	निजी संस्था का नाम	शासकीय संस्था (जहॉ पर स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया किया जाना है)
01	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, रायपुर	*शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भवन, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा नवा रायपुर (छ.ग.)*
02	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस रायपुर	
03	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई	
04	अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और रिसर्च, जुनवानी भिलाई	
05	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, पचेड़ा, नवा रायपुर	
06	माँ पद्मावती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, माता कौशल्या मंदिर रोड, पचेड़ा, रायपुर	

नोटः– संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्कूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

क्रमशः––2––

सभी आबंटित अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम 2025 का नियम 7 का नियम (viii) के अनुसार *"आवंटन होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में आवंटन पत्र में उल्लेखित प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। आवंटन पश्चात संस्था में संवीक्षा हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी चालू शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया से स्वयमेव बाहर हो जायेगा।*

निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु स्कूटनी सेंटर

क्र0	निजी संस्था का नाम	शासकीय संस्था (जहॉ पर स्कूटनी एवं प्रवेश प्रकिया किया जाना है)
01	मैत्री कॉलेज ऑफ डेंटिस्टी एण्ड रिसर्च सेंटर, दुर्ग	*शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर*
02	रूंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल सांइसेस एण्ड रिसर्च, भिलाई	
03	त्रिवेणी दंत विज्ञान महा0, चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, बिलासपुर	
04	छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजनांदगांव	
05	न्यू होराईजन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिलासपुर	
06	श्री बालाजी इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, रायपुर	

नोटः– *सभी निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्कूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।*

नोट :–

बैंक गारंटी के संबंध में –आवंटित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवंटित संस्था में प्रवेश के समय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने हेतु शपथ पत्र के आधार पर भी प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को **शपथ पत्र के साथ निम्न में से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा – चेक, फिक्स्ड डिपॉजिट की कॉपी, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि बैंक गारंटी 'अंडर प्रोसेस' है और निर्धारित तिथि तक जारी की जाएगी, अथवा बैंक का कोई उपयुक्त दस्तावेज जिससे यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी ने बैंक गारंटी हेतु आवेदन किया है और प्रक्रिया जारी है।**

जिन अभ्यर्थियों की बैंक गारंटी निर्धारित तिथि तक उपलब्ध नहीं हो पाती है, उन्हें उक्त तिथि तक शपथ पत्र के साथ बैंक द्वारा जारी 'बैंक गारंटी अंडर प्रोसेस' प्रमाण

क्रमशः––3––

पत्र प्रवेशित संस्था में जमा करना होगा। यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

1. **छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का अवलोकन कर ही, स्क्रूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं से सुरक्षित रहें।**

2. आगामी काउंसिलिंग, आवंटन एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट ***www.cgdme.in*** एवं एन.आई.सी. की वेबसाइट ***https://cgdme.admissions.nic.in*** का नियमित अवलोकन करें।

3. **सभी शासकीय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों का आवंटन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा नियमानुसार ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।**

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

07/11/26

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग

पृ. क्रमांक/ 1768 /छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2026 रायपुर, दिनांक 07/11/2026

प्रतिलिपि :–

1. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. जिला कलेक्टर, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/रायगढ़/राजनांदगांव/कांकेर/कोरबा/महासमुंद/दुर्ग/कबीरधाम/मनेन्द्रगढ़/जशपुर/दंतेवाड़ा/जांजगीर–चांपा कीओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।
3. अधिष्ठाता, निजी चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।
4. प्राचार्य, शासकीय दंत चिकि0 महाविद्यालय रायपुर एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।

संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियो की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.